



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा,  
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम

चम्बा, (टिहरी गढ़वाल)-

249145/लय :01376-255230

फैक्स :- 01376-255230

E-mail :- eechamba@gmail.com

दिनांक 07/05/2021

पत्रांक 693 / 406 / 09

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी  
टिहरी वनप्रभाग  
नई टिहरी।

विषय:-

जनपद टिहरी गढ़वाल के अर्न्तगत चम्बा नगर (पुर्न0) पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.908 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम टिहरी को 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य & देहरादून का पत्र संख्या-08 बी/यू0सी0पी0/09/41/2020 एफ0सी0/1318 दिनांक 22.09.2020 तथा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादूनका पत्रांक 987/FPUK/WATER/41746/2019 दिनांक 01.10.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्रांक 821/12-1 (52) नई टिहरी, टिहरी 13.10.2020 व

संदर्भ में जनपद टिहरी गढ़वाल के अर्न्तगत चम्बा नगर (पुर्न0) पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.908 है0

वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम चम्बा को 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध

में भारत सरकार द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र से कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है

सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन निम्न प्रकार से है:-

शर्त	अनुपालन आख्या
01	02
1-शर्त सं0- 01 के अनुसार वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जायेगी।	1-शर्त सं0- 01 के अनुसार वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जायेगी।
2-शर्त सं0- 02 के अनुपालन में परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	2-शर्त सं0- 02 के अनुपालन में परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।
3-शर्त सं0- 03 प्रतिपूरक वनीकरण:- (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 1816 पौधों के रोपण एवं दस वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि @ CA rate for 1.816 ha. area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) मु0-6,12,326.00 (छः लाख बारह हजार तीन सौ छब्बीस रुपये मात्र) जमा की जायेगी। वनीकरण हेतु धनराशि की मांग का विस्तृत आंकलन निम्न प्रकार है:-	3-शर्त सं0- 03 प्रतिपूरक वनीकरण:- (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 1816 पौधों के रोपण एवं दस वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि @ CA rate for 1.816 ha. area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) मु0-6,12,326.00 (छः लाख बारह हजार तीन सौ छब्बीस रुपये मात्र) जमा कर दी गयी हैं। वनीकरण हेतु धनराशि की मांग का विस्तृत आंकलन निम्न प्रकार है:-
प्रतिपूरक वनीकरण हेतु धनराशि के मांग का आंकलन 1-वनीकरण हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल-1.816 है0 2- वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित दर- 3,37,184.00 (तीन लाख सैंतीस हजार एक सौ चौरासी रू0 मात्र) 3-प्रतिपूरक वनीकरण हेतु कुल धनराशि की मांग- 1.816 है0x 3,37,184.00=6,12,326.44 या 6,12,326.00 (छः लाख बारह हजार तीन सौ छब्बीस रुपये मात्र)	प्रतिपूरक वनीकरण हेतु धनराशि के मांग का आंकलन 1-वनीकरण हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल-1.816 है0 2-वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित दर- 3,37,184.00 (तीन लाख सैंतीस हजार एक सौ चौरासी रू0 मात्र) 3-प्रतिपूरक वनीकरण हेतु कुल धनराशि की मांग- 1.816 है0x 3,37,184.00=6,12,326.44 या 6,12,326.00 (छः लाख बारह हजार तीन सौ छब्बीस रुपये मात्र) की धनराशि चालान संख्या-5341746478 दिनांक 06.01.2021 के द्वारा कैम्पा के आन लाईन पोर्टल पर जमा कर दी गयी है। (सलंगन-चालान)

<p>4- शर्त सं०- 04 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन और स्तम्भन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।</p>	<p>4. (संलग्नक-2)</p>
<p>5- शर्त सं०- 05 शुद्ध वर्तमान मूल्य:- (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नम्बर 556, दिनांक: 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5/1/1998-एफ0सी0, (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ0सी0 दिनांक 3.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा-निर्देशानुसार मु०-598556.00 (पांच लाख छियानब्बे हजार पांच सौ छप्पन रुपये मात्र) की धनराशि 0.908 है० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) जमा करना होगा। शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की धनराशि की मांग का आंकलन निम्न प्रकार है:-</p>	<p>5. शर्त सं०- 05 शुद्ध वर्तमान मूल्य:- (क) भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संख्या: 202/1995 में नम्बर 556, दिनांक: 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5/1/1998-एफ0सी0, (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ0सी0 दिनांक 3.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा-निर्देशानुसार मु०-598556.00 (पांच लाख छियानब्बे हजार पांच सौ छप्पन रुपये मात्र) की धनराशि 0.908 है० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) जमा करना होगा। शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की धनराशि की मांग का आंकलन निम्न प्रकार है, जिसे जमा कर दिया गया है।</p>
<p>शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की धनराशि का आंकलन</p> <p>1-ईको-क्लास श्रेणी-V 1-हरियाली का घनत्व-0.1 1-एन०पी०वी० की दर प्रति है० रूप्ये-6,57,000.00 (छः लाख सत्तावन हजार रुपये मात्र) 1-आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल-0.908 है० 1-कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि-0.908 है० X 6,57,000.00=5,96,556.00 (पांच लाख छियानब्बे हजार पांच सौ छप्पन रुपये मात्र) ख) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को जमा करना होगा, इस आशय का पथपत्र प्रस्तुत करना होगा।</p>	<p>शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की धनराशि का आंकलन</p> <p>1-ईको-क्लास श्रेणी-V 2-हरियाली का घनत्व-0.1 3-एन०पी०वी० की दर प्रति है० रूप्ये-6,57,000.00 (छः लाख सत्तावन हजार रुपये मात्र) 4-आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल-0.908 है० 5-कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि-0.908 है० X 6,57,000.00=5,96,556.00 (पांच लाख छियानब्बे हजार पांच सौ छप्पन रुपये मात्र) की धनराशि घालान संख्या-5341746478 दिनांक 06.01.2021 के द्वारा कैम्पा के आन लाईन पोर्टल पर जमा कर दी गयी है। (संलग्न-घालान) ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को जमा किया जायेगा।</p>
<p>5- शर्त सं०- 06 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 10 trees including 4 saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।</p>	<p>6- शर्त सं०- 06 का अनुपालन किया जायेगा।</p>
<p>7- शर्त सं०- 07 के अनुपालन में State Govt. inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.</p>	<p>7. शर्त सं०- 07 का अनुपालन किया जायेगा।</p>



<p>8- शर्त सं०- 08 के अनुपालन में परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (<a href="https://parivesh-nic.in/">https://parivesh-nic.in/</a>) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित/जमा किए जायेंगे।</p>	<p>8. शर्त सं०- 08 के अनुपालन में परियोजना के तहत धन केवल ई-पोर्टल (<a href="https://parivesh-nic.in/">https://parivesh-nic.in/</a>) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित/जमा किए जायेंगे।</p>
<p>9- शर्त सं०- 09 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एफ०आर०ए०, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।</p>	<p>9. शर्त सं०- 09 के अनुपालन में एफ०आर०ए०, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।</p>
<p>10- शर्त सं०-10 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।</p>	<p>10- शर्त सं०-10 के अनुपालन में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।</p>
<p>11- शर्त सं०- 11 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।</p>	<p>11. शर्त सं०- 11 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।</p>
<p>12- शर्त सं०- 12 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।</p>	<p>12. शर्त सं०- 12 के अनुपालन में वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।</p>
<p>13- शर्त सं०- 13 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।</p>	<p>13. शर्त सं०- 13 के अनुपालन में मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।</p>
<p>14- शर्त सं०-14 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।</p>	<p>14. शर्त सं०-14 के अनुपालन में संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।</p>
<p>15- शर्त सं०- 15 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।</p>	<p>15. शर्त सं०- 15 के अनुपालन में द्वारा वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।</p>
<p>16- शर्त सं०-16 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसियों विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।</p>	<p>16. शर्त सं०-16 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसियों विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।</p>
<p>17- शर्त सं०- 17 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या-11-42/2017-एफ०सी० दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।</p>	<p>17. शर्त सं०- 17 के अनुपालन में द्वारा इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या-11-42/2017-एफ०सी० दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।</p>
<p>18- शर्त सं०- 18 के अनुपालन में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्त लागू होगी।</p>	<p>18. शर्त सं०- 18 के अनुपालन में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्त लागू होगी।</p>
<p>19- शर्त सं०- 19 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्वनिर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण किया जायेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीच न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलों को राज्य वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा।</p>	<p>19. शर्त सं०- 19 के अनुपालन में पूर्वनिर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण किया जायेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीच न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलों को राज्य वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा।</p>

20- शर्त सं०- 20 के अनुपालन में यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश/आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

21- शर्त सं०- 21 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic.in/>) पर अपलोड की जायेगी।

20. शर्त सं०- 20 के अनुपालन में यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश/आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति ली जायेगी।

21. शर्त सं०- 21 के अनुपालन में रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic.in/>) पर अपलोड की जायेगी।

भवदीय



(आलोक कुमार)  
अधिशासी अभियन्ता



कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी,  
टिहरी वन प्रभाग,  
नई टिहरी

फोन/फैक्स : 01376-232077, 406

ई-मेल :

dfotehri\_ua@rediffmail.com

पत्रांक : 169 / 121

नई टिहरी, दिनांक- 22/07/2021

सेवा में,

वन संरक्षक,  
गागीरथी, वृत्त, उत्तराखण्ड,  
मुनिकीरेती।

विषय:-

जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत चम्बा नगर (पुनः पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.908 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम टिहरी को 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।। (ऑनलाईन प्रस्ताव सं०- FP/UK/WATER/41746/2019)

सन्दर्भ:-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र) देहरादून का पत्र सं०-08वी/यू०सी०पी०/०९/४१/२०२०/एफ०सी०/१३१८ दिनांक-२२-०९-२०२० व आपका पत्रांक-९८७/FP/UK/WATER/41746/2019, दिनांक-०१-१०-२०२० एवं कार्यालय अभिशाही अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल सार्वजनिक विकास एवं निर्माण निगम चम्बा (टिहरी गढ़वाल) का पत्रांक-६९३/४०६/०९, दिनांक-०७-०५-२०२१।

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर मध्य क्षेत्र) देहरादून द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत चम्बा नगर (पुनः पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.908 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम टिहरी को 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिसूचित शर्तों का प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा विन्यस्तार निम्न प्रकार अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गई है-

क्र०सं०	शर्त	अनुपालन आख्या
1	शर्त संख्या-01 के अनुसार वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	प्रयोक्ता अधिकरण सहमत है।
2	शर्त संख्या-02 के अनुपालन में परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अधिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	प्रयोक्ता अधिकरण सहमत है।
3	शर्त संख्या-3 प्रतिपूरक वनीकरण (क) प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा 1816 चौधों के रोपण एवं दस वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (CA rate for 1.816 ha. area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) मु०- 6,12,326.00 (छह लाख बारह हजार तीन सौ छत्तीस रुपये मात्र) जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा 1816 चौधों के रोपण एवं दस वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि CA rate for 1.816 ha. area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) मु० 6,12,326.00 (छह लाख बारह हजार तीन सौ छत्तीस रुपये मात्र) जमाना द्वारा कैम्पा के ऑनलाईन पोर्टल पर जमा कर दी गई है। जिस जमाना की 03 प्रति सलगन की जा रही है। (सलगन-01)
	(ख) राज्य शासन द्वारा रोपण स्थल की kml file, Coordinates, नक्शा, इत्यादि जानकारी इस कार्यालय को प्रदाय की जायेगी।	रोपण स्थल की kml file, Coordinates, नक्शा (रगिन गूगल मानचित्र) सलगन कर प्रेषित है। (सलगन-02)
4	शर्त सं०-4 के अनुपालन में प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित गजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्य के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	प्रयोक्ता अधिकरण सहमत है।
5	शर्त सं०-05 (क) प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (c) संख्या 202/1995 में 1A नम्वर 556, दिनांक-30-10-2002, 01-08-2003, 28-03-2008, 24-04-2008 एवं 09-05-2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक-5/1/1998-एफ०सी०, (Pl.2)	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा मु० 5,96,556.00 (पांच लाख छियासठे हजार पांच सौ छत्तीस रुपये मात्र) की धनराशि 0.908 हे० वन क्षेत्र के प्रयोक्ता अधिकरण के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (एफ०सी०पी०) जमा कर

24/07/2021  
22/07/2021

दिनांक-18-09-2003 5-2/2006-एफ0सी0. दिनांक-05-02-2009 में जारी दिशा-निर्देशानुसार मु0-5,96,556 00 (पाच लाख पचासहजार पाच सौ छप्पन रुपये मात्र) की धनराशि 0.908 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0पी0) जमा करना होगा।	दिया गया है। जालान की प्रति सलमन है। (सलमन-03)
(ख) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो को जमा करना होगा, इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जो सलमन कर 03 प्रतिशत में प्रकृत है। (सलमन-04)
3 शर्त स0-06 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 10 trees including 4 saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगें। प्रयोक्त अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
7 शर्त स0-7 के अनुपालन में State Govt. Inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelinges para 11.2. The State Govt. Will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year form the date of issue of such permission.	प्रयोक्ता अभिकरण तथा अफोहरताक्षरी सहमत है।
8 शर्त स0-8 के अनुपालन में परियोजना के तहत अभिकरण से प्राप्त घन केवल ई-पोर्टल ( <a href="https://parivesh-nic.in/">https://parivesh-nic.in/</a> ) के माध्यम से क्षतिपूर्क वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण कड में स्थानान्तरित/ जमा किए जायेगें।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्राप्त निर्देशा के क्रम में समस्त धनराशि ऑनलाईन जमा की गई है। (सलमन-01)
9 शर्त स0-9 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण-पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
0 शर्त स0-10 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राकधानों के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
11 शर्त स0-11 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
12 शर्त स0-12 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
13 शर्त स0-13 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
14 शर्त स0-14 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
15 शर्त स0-15 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
6 शर्त स0-16 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
17 शर्त स0-17 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या-11-42/2017-एफ0सी0. दिनांक-29-01-2018 के अनुसार उरा पर कार्यवाही होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
18 शर्त संख्या-18 के अनुपालन में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्त लागू होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

शर्त स0-19 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्वनिर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण किया जायेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौध लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलों को राज्य वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार सम्यग्बद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
शर्त स0-20 के अनुपालन में यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद /नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश/आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
शर्त स0-21 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा रिपोर्ट ई-पोर्टल ( <a href="https://parivesh-nic-in/">https://parivesh-nic-in/</a> ) पर अपलोड की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अतः भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की विन्दुवार अनुपालन आह्वान हाईड कापी तीन प्रतियों में मय सलग्नक अग्रोत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी  
टिहरी वन प्रभाग,  
नई टिहरी

संख्या :

प्रतिलिपि-

तददिनांकित।

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, चम्पा, टिहरी  
गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी  
टिहरी वन प्रभाग,  
नई टिहरी